IndiaShelter Home Loans

# इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- आर.के. टावर, पहली मंजिल, एलआईसी कार्यालय के पास, विष्णु नगर, परासिया रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश-480001, पहली मंजिल, इंडिया ऑयल मिल के सामने, मैकेनिक चौक, बैतूल गंज, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश-460001

## अचल संपत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ता और संपत्ति का मालिक/जमानतदार को निम्नलिखित दिनांकों को नीचे वर्णित खाते के समक्ष एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना में उल्लेखित बकाया राशि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करने का कहा गया था। चूंकि संपत्ति के मालिक तथा अन्य पक्ष राशि वापस करने में असफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8 तथा 9 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीखों को नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस प्रकार से चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति/संपत्तियों से कोई लेन-देन न करें और संपत्ति/संपत्तियों से कोई भी लेन-देन इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार और उस पर ब्याज, लागत, आदि के अधीन होगा, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है

| क्र. सं. | कर्जदार/गारंटर का नाम (सम्पत्ति का मालिक) और ऋण खाता नं. | प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि) | मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि | कब्जे की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती/श्री जयवंती परतेती, श्रीमती/श्री राजू परते,. श्रीमती/श्री दीपक परतेती सोनाखार, पाखड़िया, छिंदवाड़ा, 480001 मध्य प्रदेश (ऋण खाता संख्या: CHL100000428) | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मौजा पाखड़िया, बी.नं.-304, पी.एच. नं.18, आर.एन.एम. छिंदवाड़ा-2, खसरा नं.124, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, सीमाएं: पूर्व-रेवाराम का प्लॉट, पश्चिम-रामलाल का मकान, उत्तर-पहाड़ी, दक्षिण-मेन रोड | मांग सूचना की तिथि 12.04.2024 रु. 6,95,367/- (रु. छह लाख पिच्यान्वे हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) दिनांक 10.04.2024 तक देय साथ में 11.04.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत | 13.05.2025 भौतिक कब्जा |
| 2. | श्री/श्रीमती अभिलाषा सूर्यवंशी, श्री/श्रीमती, निमेष ब्रन्हे, श्री/श्रीमती दिलीप सूर्यवंशी, पता- वार्ड नं. 35 गली नं. 15 नागद्वार चौक गुलाबरा नागद्वार मंदिर के पास छिंदवाड़ा एमपी 480001 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 480001 (ऋण खाता सं. LA48CLLONSO00005031266 और LA48CLLONS00005042096) | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि पी. एच. नं.19/22, बी.नं. 177, वार्ड नं. 06, क्षेत्रफल 560 वर्ग फीट, खसरा नं.-427/7, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा 480001, मध्य प्रदेश, सीमाएं: पूर्व-रोड, पश्चिम- विक्रेता की भूमि, उत्तर- विक्रेता का घर, दक्षिण -सुख्खा मास्टर | मांग सूचना की तिथि 17.04.2023 रु. 11,04,298.80/- (रु. ग्यारह लाख चार हजार दो सौ अट्ठानवे और पैसे अस्सी मात्र) दिनांक 10.04.2023 तक देय साथ में 11.04.2023 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत | 13.05.2025 भौतिक कब्जा |
| 3. | श्री/ श्रीमती संगीता अलेयर के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री/श्रीमती बलवंत अलेयर, पता:- विनायक रेजीडेंसी पटेल वार्ड बैतूल, नीलकंठ मंदिर के पास बैतूल 460001 मध्य प्रदेश (ऋण खाता सं. LA48CLLONS00005039022) | सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ख.नं. 154/1, बी.नं. 526, पी एच नं. 19, तोनिया करवल, तहसील और जिला छिंदवाड़ा, 480001 मध्य प्रदेश बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं:- पूर्व-घर पंडित जी, पश्चिम-रोड, उत्तर-पलाश, दक्षिण-सुखा बाई का बिक्री प्लॉट, साइट पर वास्तविक के अनुसार सीमाएं: पूर्व-घर पंडित जी, पश्चिम-रोड, उत्तर-पलाश ब्लास खोरे, दक्षिण-घर सोनी | मांग सूचना की तिथि 12.02.2025 रु. 6,82,804/- (रु. छह लाख ब्यासी हजार आठ सौ चार मात्र) दिनांक 10.02.2025 तक देय साथ में 11.02.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत | 14.05.2025 सांकेतिक कब्जा |

किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री संजय राठौड़ (+91 9993460061), श्री सागर बारस्कर (91 9584585052) और श्री सत्येन्द्र पाटीदार (+91 75098 01709) से संपर्क करें

स्थान: मध्य प्रदेश, तिथि: 16.05.2025 कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

---

Navigate markets with focussed insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with The Compass in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.com**

Business Standard
Insight Out

---

OMKARA

# ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नं. 9, एम.पी. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर 641607
कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर पश्चिम, मुंबई 400028. फोन: 022-6923 1111/9173670406

## [परिशिष्ट - IV-A]

## अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 (2) और नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं) इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) और श्री अजय मोतीलाल अग्रवाल, श्री राजेंद्र कुमार समरथमल चोरड़िया, श्री अजयकुमार ज्ञानचंद जैन और श्री राजेंद्र कुमार समरथमल चोरड़िया राजेंद्रकुमार समरथमल चोरड़िया (हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)) (गारंटर) के कर्ता और प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, को यह सूचना दी जाती है। कि नीचे वर्णित चल और अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) सुरक्षित लेनदार एसएएसएफ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 27.11.2024 को ले लिया गया है। के उक्त उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ताओं से ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड /सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि रु. 83,05,74,353 (रुपये तिरासी करोड़ पांच लाख चौहत्तर हजार तीन सौ तिरेपन मात्र) प्लस 01.06.2019 से ब्याज और व्यय इत्यादि (अनुबंध और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार) की वसूली हेतु "जहां है जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के आधार पर" 05.06.2025 को अपरा. 01:00 बजे से 02:00 बजे के बीच बेचा जाएगा। (बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय 04.06.2025 शाम 6:00 बजे तक है)

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएस 13/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) (ओएआरपीएल) ने दिनांक 31.08.2024 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से उपरोक्त उधारकर्ता/गारंटर के विरुद्ध बकाया संपूर्ण ऋण तथा तनावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि से अंतर्निहित प्रतिभूति प्राप्त कर ली है। इसके अनुसार ओएआरपीएल बकाया राशि वसूलने तथा प्रतिभूतियों को लागू करने का हकदार है।

चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि तथा ज्ञात भार (यदि कोई हो) निम्नानुसार हैं:

| सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य | ईएमडी |
|---|---|---|
| भूमि का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि विरासत और परिसर, म्युनिसीपल सं. 26/226/73 जिसका माप 303.22 वर्ग मी. या उसके आसपास है, जिसमें शामिल भूतल और प्रथम तल, 14 फीट और 4 इंच by 277 फीट और 10 इंच और चांदनी चौक, रतलाम, मध्य प्रदेश में स्थित संपत्ति में रखी चल संपत्तियों के साथ | रु. 7,17,00,000/- | रु. 7,17,000/- |

| | |
|---|---|
| ई-नीलामी की तिथि | 05.06.2025 दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक |
| न्यूनतम बोली वृद्धि राशि | रु. 5,00,000/- (केवल पाँच लाख रुपये) |
| भागीदारी के बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय: | 04.06.2025 शाम 6:00 बजे तक |
| निरीक्षण की तिथि | 30.05.2025 सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच (केवल पूर्व पुष्टि पर) |
| ज्ञात देयताएँ/भार | ज्ञात नहीं |

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों को "पंद्रह दिन" का नोटिस भी है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार वेबसाइट यानी http://omkaraarc.com/auction.php में दिए गए लिंक का संदर्भ लें सकते है और प्राधिकृत अधिकारी का संपर्क विवरण: देवांग खिरा: 9619422209 (devang.khira@omkaraarc.com), साथ ही गेहना बलवानी: 9173670406 और ईमेल: gehnabalwani@omkararc.com. बोलीदाता वेबसाइट http://www.bankeauction.com पर भी जा सकते हैं या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टेलीफोन: +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com, श्री भाविक पंड्या, मोबाइल: 8866682937 ईमेल maharashtra@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 29ए के तहत अनुपालन करना होगा और घोषणा देनी होगी।

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत बिक्री हेतु वैधानिक सूचना।**

यह नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और नियम 8(6) तथा नियम 9(1) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) को कम से कम 15 (पंद्रह) दिन का एक अनिवार्य नोटिस है, जिसमें उन्हें उपरोक्त तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है, साथ ही यह सलाह भी दी जाती है कि यदि वे चाहें तो सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधानों के अनुसार ब्याज, लागत और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके आस्तियों को मुक्त कर सकते हैं। भुगतान में चूक की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता के विवेक पर संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के अंतर्गत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जाएगा।

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 13/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

दिनांक: 16.05.2025
स्थान: रतलाम, म.प्र.

---

## कब्जा सूचना

जबकि, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम") के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("उक्त नियम") के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता, गारंटरों और बंधककर्ताओं को लोन के तहत, राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया गया था, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

और जबकि बाद में, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 31-03-2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को उधारकर्ता/गारंटर(ओं) द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में सौंपे हैं, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को अंतर्निहित अचल संपत्ति के साथ-साथ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को एआरसीआईएल-रिटेल के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत ऋण पोर्टफोलियो-086-ए-ट्रस्ट ("एआरसीआईएल") सुरक्षा रसीदों के धारकों के लाभ के लिए। इसलिए, उक्त असाइनमेंट के मद्देनजर, आर्सिल अब मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गई है और एआरसीआईएल के उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यवाही को शुरू करने/जारी रखने और उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा उनके द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और बनाए गए गारंटी और सुरक्षा हित के प्रवर्तन सहित वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लागू करने का हकदार होगा।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओं) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को "जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर" नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

| कर्जदार और गारंटर का नाम | मांग सूचना | कब्जा की तिथि |
|---|---|---|
| 18101091287 एवं 18101076639 एवं 18101075816,<br>ओम प्रकाश<br>संजय गुर्जर<br>सूदा बाई उर्फ सुदामा बाई | रुपये 3,05,750.77/- (रु. तीन लाख पांच हजार सात सौ पचास और पैसे सतहत्तर मात्र) और रुपये 2,40,663.49/- (रु दो लाख चालीस हजार छह सौ तिरेसठ और पैसे उन्तालीस मात्र) रु. 4,47,970. 1/- (रु. चार लाख सैंतालीस हजार नौ सौ सत्तर और पैसे दस मात्र) दिनांक 18.11.2023 तक और साथ में ब्याज एवं अन्य आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित<br>नोटिस की तिथि: 30.11.2023 | सांकेतिक कब्जा 14.05.2025 |

सम्पत्ति का विवरण: प्लॉट नं. 17, सेक्टर-बी, खसरा नं. 7/1 का हिस्सा जोकि शिव शक्ति नगर, गांव-छोला, भोपाल नगर निगम वार्ड नं.-73, तहसील-हुजूर, भोपाल मध्य प्रदेश-462001 में स्थित, कुल क्षेत्रफल 10X25=250 वर्ग फीट यानी 23.33 वर्ग मीटर जिस पर निर्मित मकान और जिसकी सीमाएं: पूर्व-सड़क, पश्चिम-अन्य की संपत्ति, उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण - अन्य की संपत्ति इसके बाद इसे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना/हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा। उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 16.05.2025

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
एआरसीआईएल-रिटेल लोन पोर्टफोलियो-086-ए-ट्रस्ट के ट्रस्टी

Arcil

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत
आर्सिल कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400028.
वेबसाइट: www.arcil.co.in; CIN: U65999MH2002PLC134884

---

kotak Kotak Mahindra Bank

# सम्पत्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

## कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051, शाखा कार्यालय, कोटक महिंद्रा बैंक लि., सातवीं मंजिल, प्लॉट सं.-7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

**अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना** प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के साथ पठित नियम 9 (1) के प्रावधान के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" **(जिसे यहां बाद में "पीएनबीएचएफएल" कहा गया है)** द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिए जाने के उपरांत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे यहां बाद में "पीएनबीएचएफएल" कहा गया है) के अधिकृत अधिकारी ने प्रत्याभूत ऋणदाता के समक्ष गिरवी पर रखी गई/प्रभारित नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति (जिसे यहां बाद में प्रत्याभूत सम्पत्ति कहा गया है) पर दिनांक 14.09.2017 को कब्जा कर लिया था। एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि बैंक ने श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा हासिल ऋण, ऋण खाता सं. एचओयू/बीएचओ/0415/218111 के अंतर्गत दिनांक 14.05.2025 की स्थिति के अनुसार बकाया रकम **रु. 28,99,295/- (रुपये अट्ठाईस लाख निन्यानवे हजार दो सौ पचानवे मात्र)** के साथ भुगतान किए जाने तक लागू भविष्य के ब्याज की रकम की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है", तथा "यहां जो कुछ है" के आधार पर प्रत्याभूत सम्पत्ति की बिक्री करने का निर्णय लिया है।

| विवरण | ब्यौरा |
|---|---|
| नीलामी की तारीख | 20.06.2025 |
| नीलामी का समय | दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ |
| आरक्षित मूल्य | रु. 10,80,000/- (रुपये दस लाख अस्सी हजार मात्र) |
| बयाना राशि जमा (ईएमडी) | रु. 1,80,000/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) |
| केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख | 19.06.2025 को शाम 6.00 बजे (भारतीय) तक |
| प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण | ग्राम कंदा कला, पटवारी हल्का सं. 27/38 राजस्व सर्कल सं. 3 तहसील हुजूर, जिला भोपाल के "आकृति हाईलैंड" में स्थित एक आवासीय डुप्लेक्स सं. डी-512 (3बीएचके) का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 98.00 वर्ग मीटर तथा जिसमें से भूतल पर 59.58 वर्ग मीटर तथा जिसमें से पहली मंजिल पर 36.59 वर्ग मीटर आवासिक मकान पर निर्मित है तथा भूतल पर 38.42 वर्ग मीटर खुला क्षेत्र है, जो निम्नलिखित चौहद्दी से घिरा हुआ है साथ में यह विलेख इस बिक्री विलेख का भी हिस्सा है। पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: प्लॉट सं. डी-511, उत्तर में: प्लॉट सं. डी-513, दक्षिण में: सड़क। |
| ज्ञात ऋणभार | शून्य |

कर्जदारों का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार तथा आमतौर पर जनसाधारण कृपया ध्यान दें कि किसी भी कारण चाहे जो कुछ भी हो निर्धारित नीलामी विफल होती है, तो प्रत्याभूत ऋणदाता निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए प्रत्याभूत हित कुर्क कर सकती है। बिक्री के अंतर्गत सम्पत्ति के संबंध में किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/आवश्यकता के मामले में बोलीदाता **सुमित सिन्हा (मोब सं. +919667225900), श्री सोमेश सुंदरियाल (मोब: +917078699330) तथा श्री अखिल सोलंकी (मोब सं. +917302111608)** से सम्पर्क कर सकते हैं। **स्पष्टीकरण के लिए बोलीदातागण हेल्पलाइन सं. (+91-9152219751) से भी सम्पर्क कर सकते हैं।** बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट यानी **www.kotak.com** पर प्रदत्त लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** तथा/अथवा **https://kotakbank.auctiontiger.net** देखें।

स्थान: भोपाल, तारीख: 15.05.2025 अधिकृत अधिकारी: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

---

RELIANCE

# RELIANCE ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Address:- 11th Floor, North Side, R-Tech Park, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai – 400063, T + 91 2241681200, F + 91 2241681220

## परिशिष्ट-IV {नियम 8( 1 )} कब्जे संबंधी सुचना ( अचल संपत्ति हेतु )

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के प्रवर्तन और धारा 13( 12 ) सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित ऋणी/यों और सह-ऋणी/यों और जमानतदार को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित बकाया ऋण राशि चुकाने के लिए धारा 13( 2 ) के तहत मांग नोटिस जारी किया है।

ऋणी/यों,सह-ऋणी/यों और जमानतदार द्वारा यह राशि न चुका पाने के कारण ऋणी/यों,सह-ऋणी/यों और जमानतदार एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे दिए गए विवरण वाली संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणी/यों,सह-ऋणी/यों और जमानतदार को विशेषकर तथा आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियों में कोई लेनदेन न करें और इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों के ऋणभार प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी/यों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 8 ) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को छुड़ा लेने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में है।

| ऋण संख्या ऋणी/यों, सह-ऋणी/यों और जमानतदार का नाम | सुरक्षित संपत्ति का विवरण ( अचल संपत्ति ) | डिमांड नोटिस की तिथि और राशि | कब्जा सूचना की तिथि |
|---|---|---|---|
| ऋण खाता संख्या MPL145<br>1. कमल सिंह अंजना पुत्र सेवाराम अंजना<br>2. संगीता अंजना पत्नी कमल सिंह अंजना<br>3. रवि रावल पुत्र हरिशंकर रावल | संपत्ति के सभी अंग व अंश जिसमें पी.एच.एन. 21 जो सर्वेक्षण संख्या 497, मकान संख्या 133, गांव और ग्राम पंचायत गोंदला बुजुर्ग,तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 750 वर्गफीट है। जो कमल पुत्र सेवाराम के नाम से है। सीमाएं:- पूर्व: मनोहर पटेल का मकान पश्चिम: गांव की सी.सी. रोड उत्तर: मंदिर चौक दक्षिण: खाली प्लॉट | दिनांक 04 दिसम्बर 2023 राशि रुपये 4,17,487/- ( रु.चार लाख सत्रह हजार चार सौ सत्तासी मात्र ) | 13-05-25 |

दिनांक :16.05.2025 स्थान: उज्जैन

ह०/-
प्राधिकृत अधिकारी ( रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड )

---

OMKARA

# ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : नं 9, एम.पी. नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्स., तिरुपुर 641607
निगमित कार्यालय : कोहिनूर स्क्वेयर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर पश्चिम, मुंबई 400028, दूरभाष : 022-6923 1111/9173670406

## [ परिशिष्ट – IV–ए ]

## अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता / बंधककर्ताओं / गारंटर(रों) नामतः **रोहिणी फाइबर्स लिमिटेड (उधारकर्ता) तथा श्री बाबूलाल अग्रवाल, श्री आलोक कुमार अग्रवाल, श्री महेंद्र कुमार अग्रवाल, श्री सुमन अग्रवाल (गारंटरगण)** को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्ति जिसका अधिग्रहण ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) के प्राधिकृत अधिकारी, एसएएसएफ के प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा 28/11/2024 को लिया जा चुका है, उन्हें **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "यहां जो कुछ है" तथा "बिना उपाय आधार"** पर **05/06/2025 को अप. 01.00 बजे से 02.00 बजे के बीच** (बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 04/06/2025 को सायं 06.00 बजे तक है) बेचा जायेगा, जो **रु. 12,26,49,371/- (रुपये बारह करोड़ छब्बीस लाख उनचास हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र)** और 31 मार्च 2006 से प्रभावी ब्याज एवं व्ययों (संविदापरक तथा वित्तकारक प्रलेखों के अनुसार) की वसूली के लिए बेचे जायेंगे, जो कि उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता / गारंटर(रों) / बंधककर्ताओं की ओर से ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड / प्रतिभूत ऋणदाता को देय है।

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएस 13/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) (ओएआरपीएल) ने दिनांक 31/08/2024 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से उपरोक्त उधारकर्ता/गारंटरों के विरुद्ध पड़े संपूर्ण बकाया ऋणों को स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टैबिलाइजेशन फंड से अंतर्निहित सुरक्षा के साथ अधिग्रहित कर लिया है। उसी के अनुसार ओएआरपीएल बकाया राशि वसूलने और प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने का हकदार है।

अचल संपत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि और ज्ञात ऋणभार (यदि कोई हो) इस प्रकार हैं :

| संपत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य | धराज |
|---|---|---|
| लीजहोल्ड भूमि के वे सभी टुकड़े और पार्सल जिनकी माप 7705 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट संख्या 67 और 68, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, तहसील गोहद, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में स्थित है। | रु. 75,00,000/- | रु. 75,000/- |

| | |
|---|---|
| ई-नीलामी की तिथि | 05/06/2025 को अप. 01:00 से 02:00 बजे तक |
| न्यूनतम बोली वृद्धि राशि | रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) |
| भागीदारी के बोली पत्र / केवाईसी प्रलेख / धराज का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय | 04/06/2025 को सायं 6:00 बजे तक |
| निरीक्षण की तिथि | 29/05/2025 को अप. 02:30 से 04:30 बजे के मध्य (केवल पूर्व पुष्टिकरण पर) |
| ज्ञात देयताएं / ऋणभार | अज्ञात |

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ताओं/गारंटरों को पंद्रह दिन की सूचना भी है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात http://omkaraarc.com/auction.php में दिए गए लिंक को देखें और प्राधिकृत अधिकारी देवांग खीरा के संपर्क विवरण देखें : 9619422209 (devang.khira@omkaraarc.com), साथ ही गेहना बलवानी : 9173670406 और ईमेल- gehnabalwani@omkararc.com भी देखें। बोलीदाता वेबसाइट http://www.bankeauction.com पर भी जा सकते हैं या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से दूरभाष: +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, श्री भाविक पंड्या, मोबाइल : 88666 82937 ईमेल Maharashtra@c1india.com संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदातागण ऋणशोधनाक्षमता और दिवालिया संहिता 2016 की धारा 29ए के तहत अनुपालन करेंगे और घोषणा देंगे।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत बिक्री की सांविधिक सूचना।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के नियम 8(6) और नियम 9(1) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) को कम से कम 15 (पंद्रह) दिनों की एक अनिवार्य सूचना भी है, जिसमें उन्हें उपर्युक्त दिनांक और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित करते हुए सलाह दी जाती है कि यदि वे चाहें तो सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (8) के प्रावधानों के अनुसार ब्याज, लागत और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कर सकते हैं। भुगतान में चूक होने की स्थिति में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (5) के अंतर्गत निर्धारितानुसार किसी भी माध्यम से बेचा जाएगा।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
देवांग खीरा/डीवीपी
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 16/05/2025
स्थान : भिंड, मध्य प्रदेश
(ओमकारा पीएस 13/2024-25 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत)

---

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — *every day* with Stocks in the News in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.com**

Business Standard
Insight Out

---

MANAPPURAM HOME FINANCE LTD.

# मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

पूर्व में मणप्पुरम होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन नं.- U65923KL2010PLC039179
यूनिट 301-315, तृतीय तल, ए विंग, कनकिया वॉल स्ट्रीट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400093.
संपर्क नंबर : 022-68194000 / 022-66211000

## मांग सूचना

जबकि मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, जिनका पंजीकृत कार्यालय IV/470ए (पुराना) डब्ल्यू/638ए (नया), मणप्पुरम हाउस, वलपद, त्रिशूर, केरल- 680567 में स्थित है और भारत में विभिन्न स्थानों पर शाखाएं हैं (जिसे इसके बाद 'माहोफिन' के रूप में संदर्भित किया गया है) एक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एम) के उप-खंड (iv) के अर्थ में एक वित्तीय संस्थान है, जिसे भारतीय शासन वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी 18 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3466 (ई) के साथ पढ़ा जाए, अन्य बातों के साथ-साथ आवास इकाइयों के निर्माण और/या खरीद के लिए ऋण देने का व्यवसाय कर रहे हैं और नीचे उल्लिखित चार्ट के कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं ने माहोफिन से ऋण प्राप्त किया है और माहोफिन सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का उस पर अतिरिक्त ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से नोटिस नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, नीचे सूचीबद्ध उक्त उधारकर्ताओं की जानकारी के प्रयोजनों के लिए, उक्त उधारकर्ताओं को इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

| क्र. सं. | उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता का नाम/लैन/शाखा | उस प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण, जिसके संदर्भ में हित सृजित किया गया है | एनपीए तिथि | प्रेषित सूचना की तिथि एवं बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दीपा बाई, लेखुलाल एक्स/ एमएचएल00550031411/ यशवंत निवास इंदौर | मकान नंबर 24, सर्वे नंबर 291, पटवारी हलका नंबर- 24, कुल प्लॉट एरिया 1963 वर्ग फीट, ग्राम धुल मढ़, तहसील घाटिया, जिला- उज्जैन, घाटिया, पीओ आरयूआई, उज्जैन, मध्य प्रदेश, पिन : 456006, सीमा :- पूर्व- करण सिंह का प्लॉट, पश्चिम- सड़क, दक्षिण- बद्रीलाल का घर, उत्तर- जगदीश का घर | 15-04-2025 | 19-04-2025 तथा रु. 469601/- |
| 2 | मनीषा एक्स, करण रणछोड़/ एमएचएल00550024621/ यशवंत निवास इंदौर | मकान नं.153, सर्वे नं. 287, पटवारी हल्का नं. 07, (नया नं. 03) वार्ड नं. 07, कुल 690 वर्ग फीट, ग्राम जलोदिया ग्रान, तहसील- देपालपुर, जिला इंदौर, इंदौर, पोस्ट ऑफिस जलोदिया ग्रान, इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन : 453220, सीमा :- पूर्व- रणछोड़ का मकान, पश्चिम- रोड, दक्षिण- रोड, उत्तर- बने सिंह की भूमि | 15-04-2025 | 19-04-2025 तथा रु. 430670/- |
| 3 | लता सेन, रोहित सेन/ एमएचएल01000019951/ ग्वालियर | भूमि सर्वे नं. 37, पीएच नं. 56, अभिमापन 495 वर्ग फीट, गांव- डबरा, बघेल मोहल्ला इटावा होटल के पीछे, तहसील- डबरा, तालुका- डबरा, वार्ड नं. 02, जिला- ग्वालियर, बघेल कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन : 475110 में स्थित है। सीमा इस प्रकार है :- पूर्व- रोड 18 फीट, पश्चिम- आशा सेन का मकान, दक्षिण- फूलचंद परिहार का प्लॉट, उत्तर- जैन साहब का मकान | 15-04-2025 | 19-04-2025 तथा रु. 419745/- |
| 4 | मीना देवी, जितेन्द्र शर्मा / एमएचएल01000024323/ ग्वालियर | भूमि सर्वे क्रमांक 2624/मिन. प्लॉट एरिया 1496.25 वर्ग फीट, ग्राम खालोरकला तालुका मुरैना, वार्ड क्रमांक 15, राम निवास वाली गली, मुरैना नगर निगम में स्थित है और उप-पंजीयक कार्यालय, जिला-मुरैना, पोस्ट ऑफिस मुरैना नगर, मध्य प्रदेश, पिन : 476001 की सीमाओं के भीतर स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- गली, पश्चिम- गली, दक्षिण- भीकाराम का मकान, उत्तर- पुरुषोत्तम का मकान | 15-04-2025 | 19-04-2025 तथा रु. 520530/- |
| 5 | देवीबाई रानी ठाकुर, राजकिशोर सिंह ठाकुर/ एमएचएल00900024037/ सागर | मौजा सागौन पटवारी हलका नंबर 99 आर.आई. सर्कल परसोरिया ग्राम पंचायत में स्थित भूमि स्वामित्वात्मक प्रमाणपत्र आबादी खसरा नं. 1220 प्लॉट नं. 1116 (बी) है कुल क्षेत्रफल 341 वर्ग मीटर का 1/4वां हिस्सा रखते हैं, शेष भाग 85.25 वर्ग मीटर या 917.29 वर्ग फुट, हनुमान के पास, तहसील और जिला- सागर, सागर पीओ सागोंधा सागर, मध्य प्रदेश, पिन : 470001 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- पूर्व- स्वामी का स्थान, पश्चिम- मार्ग (सड़क), दक्षिण- गजेंद्र सिंह, उत्तर- गब्बर सिंह | 15-04-2025 | 19-04-2025 तथा रु. 386232/- |

इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर दिखाए गए अनुसार कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, माहोफिन ऊपर वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) में विस्तृत रूप से सार्वजनिक नीलामी या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय माहोफिन द्वारा देय संपूर्ण राशि के भुगतान पर भुनाया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से सुरक्षित संपत्तियों को हस्तांतरित करने और / या उनका निस्तारण करने से रोका जाता है।

दिनांक : 16-05-2025, स्थान : मध्य प्रदेश हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

---

# सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड

# Cent Bank Home Finance Limited

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुषंगी Subsidiary of Central Bank of India

## ऋणी द्वारा उक्त सूचना पत्र लेने से इनकार करने एवं बिना तामील वापसी के अंतर्गत अख़बार में यह नोटिस, धारा 13(2), सेक्शन 13(8) एवं 13(13) सरफेसी एक्ट के तहत प्रकाशित

सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड, के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण जो कि एन.पी.ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणियों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा आप सभी को भेजी गई थी। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने इस आशय को स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपके द्वारा सूचना में दर्शाई राशि 60 दिन के अंदर जमा नहीं कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी व जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है।

| क्र सं | आवेदक, सह-आवेदक, गारंटर का नाम एवं खाता क्रमांक | अचल संपत्ति का विवरण | सूचना दिनांक<br>एन.पी.ए. दिनांक | बकाया राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. **श्री दिलीप कुमार पंजवानी सुपुत्र श्री गोपाल दास पंजवानी (आवेदक),**<br>**सह-आवेदक:**<br>1. **श्रीमती राधा पंजवानी पत्नी श्री दिलीप कुमार पंजवानी**<br>2. **श्रीमती कृष्णा पंजवानी पत्नी श्री गोपाल दास पंजवानी**<br>3. **श्री आकाश पंजवानी सुपुत्र श्री दिलीप कुमार पंजवानी**<br>4. **श्री अनमोल पंजवानी सुपुत्र श्री दिलीप कुमार पंजवानी**<br>5. **श्री अनिल कुमार पंजवानी पुत्र श्री गोपाल दास पंजवानी**<br>6. **श्री सुनील कुमार पंजवानी पुत्र श्री गोपाल दास पंजवानी**<br>**खाता क्रमांक: 00403020000044** | नजूल ब्लॉक नं. 147, नजूल प्लॉट नं.16/7, नगर निगम जबलपुर नया मकान नं. 175 (पुराना मकान नं.2227), शुक्ला होटल का क्षेत्र अंदर, लालमाटी वार्ड नं.10, न्यू पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वार्ड, तहसील और जिला जबलपुर (म.प्र.), संपत्ति श्रीमती कृष्णा पंजवानी पत्नी श्री गोपाल दास पंजवानी के नाम पर, क्षेत्रफल 945 वर्ग फीट और ग्राउंड फ्लोर का निर्मित क्षेत्रफल 550 वर्ग फीट। **चतुर्सीमा: पूर्व-** नाली फिर रोड, **पश्चिम-** कंजरवेंसी लेन, **उत्तर-** कॉमन बाउंड्री और गुरुदासमल सिंधी का घर, **दक्षिण-** कॉमन बाउंड्री और मिट्ठूमल सिंधी का घर। | 25.04.2025<br>10.04.2025 | 28,95,860/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क |
| 2. | 1. **श्री पंकज सोनी पुत्र श्री सुंदर लाल सोनी (आवेदक),**<br>**सह-आवेदक:**<br>1. **श्रीमती वन्दना सोनी पत्नी श्री पंकज सोनी**<br>2. **श्रीमती सरोज सोनी पत्नी श्री सुन्दर लाल सोनी**<br>3. **श्रीमती हेमलता पोद्दार पत्नी संजय कुमार पोद्दार और पुत्री श्री सुंदर लाल सोनी**<br>4. **श्रीमती मोहिनी सोनी पत्नी श्री कृष्ण कुमार सोनी एवं पुत्री श्री सुंदर लाल सोनी**<br>5. **श्रीमती प्रगति सराफ पत्नी श्री नितिन सराफ और पुत्री श्री सुंदर लाल सोनी**<br>**खाता क्रमांक: 00403020000039** | मौजा - करमेता, एन.बी.नं.497, पी.एच.नं.26/27, ख.ह. नं.468/2, 469/8, नामांतरण के बाद खसरा नं.468/4 और 469/13 तहसील न्यू अधारताल और जिला जबलपुर (म.प्र.), संपत्ति स्वर्गीय श्री सुंदर लाल सोनी के पुत्र मुन्ना लाल सोनी कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से, श्री पंकज सोनी पुत्र श्री सुंदर पुत्र लाल सोनी, श्रीमती वंदना सोनी पत्नी श्री पंकज सोनी, श्रीमती सरोज सोनी पत्नी श्री सुंदर लाल सोनी, श्रीमती हेमलता पोद्दार पत्नी संजय कुमार पोद्दार और श्री सुंदर लाल सोनी की पुत्री, श्रीमती मोहिनी सोनी पत्नी श्री कृष्ण कुमार सोनी और श्री सुंदर लाल सोनी की पुत्री श्रीमती प्रगति सराफ पत्नी श्री नितिन सराफ, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट. **चतुर्सीमा: पूर्व-** कच्ची सड़क, **पश्चिम-** कंजरवेंसी लेन, **उत्तर-** ठाकुर का घर, **दक्षिण-** पी.एस. कल पांडे का घर | 25.04.2025<br>10.04.2025 | 21,97,434/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क |

नोटिस सुपुर्दगी के लिए वैकल्पिक कदम भी उठाये जा रहे है, उपरोक्त ऋणी/ सह-ऋणी उनके जमानतदारों (यदि लागू हो ) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, विफल होने पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 उपधारा (4) के तहत आगे कदम उठाये जायेंगे।

**स्थान : जबलपुर, दिनांक : 15.05.2025** **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड, जबलपुर**

**शाखा: 37/4, प्रथम तल, केनरा बैंक के ऊपर, शुभ मोटर्स के सामने, महानद्दा, मदन महल रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482001**

---

# AXIS BANK LIMITED

एक्सिस बैंक लिमिटेड, खुदरा ऋण और भुगतान समूह, (स्थानीय कार्यालय/शाखा):
एक्सिस बैंक लिमिटेड-आरएसी, तीसरी मंजिल, धन ट्राइडेंट, पीयू - 4, ब्लॉक-बी, मेट्रो टावर के पास इंदौर-452001

## मांग सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम (3) के साथ वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत)

जबकि, आपके अनुरोध पर, नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) को बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित बनाने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों के खिलाफ वित्तीय सहायता के रूप में समय-समय पर विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित सृजित करने वाले स्वामित्व विलेखों को जमा करके आपके द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण नीचे दिया गया है। चूंकि आप बैंक का ऋण चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए आपके खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि बैंक का ऋण चुकाने के लिए पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए मांग नोटिस डाक विभाग द्वारा वापस कर दिए गए हैं, इसलिए यह नोटिस जारी किया जाता है।

| क्र. सं. | आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर का नाम/खाता नं. | देनदारी रु. में | साम्यिक बंधक सम्पत्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) स्वर्गीय श्री राहुल सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह इसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से (उधारकर्ता) पता: डी-6 पंजाबी बाग आइडियल स्कूल के पास, रायसेन रोड हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश- 462023 (2). श्री नारायण पुत्र श्री किशन सिंह (सह-उधारकर्ता 1/स्वर्गीय श्री राहुल सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा) पता: डी-6 पंजाबी बाग आइडियल स्कूल के पास, रायसेन रोड हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश- 462023. (3) श्रीमती हंसा पत्नी श्री नारायण सिंह (सह-उधारकर्ता 2/स्वर्गीय श्री राहुल सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा) पता: डी-6 पंजाबी बाग आइडियल स्कूल के पास, हुजूर रोड भोपाल मध्य प्रदेश-462023. (4) श्रीमती निशा पत्नी श्री राहुल सिंह (सह-उधारकर्ता3/स्वर्गीय श्री राहुल सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा) पता: डी-6 पंजाबी बाग आइडियल स्कूल के पास रायसेन रोड हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश-462023 और: (संपत्ति पता 1) आवासीय संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट प्लॉट नं. डी-6, पंजाबी बाग रायसेन रोड तहसील हुजूर भोपाल जिला भोपाल मध्य प्रदेश-462023 में स्थित<br>ऋण खाता सं. 919030057877833 और 919030057877820<br>मांग नोटिस तिथि:- 09.04.2025 एनपीए की तिथि: 04.09.2024 | रु. 40,21,431.25 (रु. चालीस लाख इक्कीस हजार चार सौ इकतीस और पैसे पच्चीस मात्र) और रु. 94,690.39 (रु. चौरान्वे हजार छह सौ नब्बे और पैसे उनतालीस मात्र) दिनांक 22.10.2024 तक | आवासीय संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट प्लॉट नं. डी-6, पंजाबी बाग रायसेन रोड तहसील हुजूर भोपाल जिला भोपाल मध्य प्रदेश-462023 में स्थित यह सम्पत्ति श्री नारायण सिंह पुत्र श्री श्रीकिशन सिंह के नाम पर है। सीमाएँ- पूर्व: एम.पी.ई.बी. बाउंड्री, पश्चिम: प्लॉट नं. 07, उत्तर: 30 फीट चौड़ी दक्षिण: खुली भूमि |

यदि आप, उपर्युक्त व्यक्ति, इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के अनुसार, भविष्य का ब्याज और आकस्मिक खर्चों, लागतों के साथ आपके द्वारा देय उपर्युक्त राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। यह नोटिस बैंक के ऐसे अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि वह कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक समझता है।

तिथि : 16.05.2025, स्थान: भोपाल प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड

---

GRIHUM

# गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

( पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड )

पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र-411014, शाखा इकाई: प्रथम तल, 35 सिल्वर हिल मेन रोड, धार-454001 ( म.प्र. )

**ई-नीलामी - बिक्री सूचना**
सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह- ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि **गृहम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड ( पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड जो कि 17 नवम्बर, 2023 से पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड से बदलकर गृहम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड हो गया ) ( पूर्व का मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनांस पब्लिक अनलिमिटेड के नाम से निगमित )** ( अधिनियम के अनुसार इसके पश्चात 'प्रतिभूत लेनदार' संदर्भित ) के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत कम्पनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था।

प्रतिभूत आस्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से **16.06.2025 को 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' तथा 'जो कुछ भी है यही है'** आधार पर की जायेगी। एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट: **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

| क्र. सं. | प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (A) | मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (B) | कब्जे की प्रकृति (C) | सम्पत्ति का विवरण (D) | आरक्षित मूल्य (ए) | ईएमडी ( आरपी का 10% ) (F) | ईएमडी जमा करने की तिथि (G) | संविदा वृद्धि (H) | सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय (I) | नीलामी की तिथि एवं समय (J) | ज्ञात ऋण भार/ कोर्ट के मामले, यदि कोई हो. (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऋण संख्या HL00472000000005010630 रफीसा मेहबूब खान ( कर्जदार ) सोनू बी ( सह-कर्जदार ) | नोटिस दिनांक: 08/10/2024 कुल बकाया: रु. 399593/- (रुपये तीन लाख निन्यानवे हजार पांच सौ तिरानबे मात्र) 08/10/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 16.50% प्रति वर्ष ब्याज। | भौतिक | प्लॉट/मकान नंबर 89 का समस्त भाग, सर्वे नंबर 1872 ( पुराना 2079 ), पटवारी हल्का नंबर 07, ग्राम - मानकुंड, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास ( म.प्र. ) माप 480 वर्ग फीट प्लॉट की सीमाएं:- पूर्व - जसमत सिंह का घर पश्चिम- सड़क उत्तर अकरम खान का घर दक्षिण- रहूफ खां का घर | रु. 8,82,000/- ( रुपये आठ लाख बयासी हजार मात्र ) | रु. 88,200/- ( रुपये अठासी हजार दो सौ मात्र ) | 30/05/2025 को 5 बजे अप. तक | 10,000/- | 26/05/2025 ( 11 बजे पूर्वा. 4 बजे अप. ) | 16/06/2025 ( 11 बजे पूर्वा. 2 बजे अप. ) | निल |
| 2 | ऋण संख्या HF0415H20100208 अर्जुन सिंह ( कर्जदार ) तथा कुंवर ( सह-कर्जदार ) | नोटिस दिनांक: 08/10/2024 कुल बकाया: रु. 526795/- (रुपये पांच लाख छब्बीस हजार सात सौ पिचानवे मात्र) 08/10/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 17.50% प्रति वर्ष ब्याज। | भौतिक | जमीन संपत्ति का समस्त भाग पीएस नंबर 06 सर्वे नंबर 614 हाउस रजिस्टर नंबर 116 गांव लिंबास तहसील बड़नगर और जिला उज्जैन कुल माप क्षेत्र 848 वर्ग फीट, सभी अधिकारों और लाभों के साथ, ग्राम पंचायत लिम्बास की सीमा के भीतर स्थित (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित) और सीमाएं : पूर्व: आम रास्ता पश्चिम: अपना प्लॉट उत्तर: आम रास्ता दक्षिण: मंगु सिंह का घर | रु. 4,74,880/- ( रुपये चार लाख चौहत्तर हजार आठ सौ अस्सी मात्र ) | रु. 47,488/- ( रुपये सैंतालीस हजार चार सौ अठासी मात्र ) | 30/05/2025 को 5 बजे अप. तक | 10,000/- | 26/05/2025 ( 11 बजे पूर्वा. 4 बजे अप. ) | 16/06/2025 ( 11 बजे पूर्वा. 2 बजे अप. ) | निल |
| 3 | ऋण संख्या HF0412H21100342 अखिलेश रामदास ( कर्जदार ) प्रीति अखिलेश ( सह-कर्जदार ) | नोटिस दिनांक: 08/10/2024 कुल बकाया: रु. 874165/- (रुपये आठ लाख चौहत्तर हजार एक सौ पैंसठ मात्र) 08/10/2024 तक देय, साथ में वसूली तक 17.25% प्रति वर्ष ब्याज | भौतिक | प्लॉट/मकान नंबर 98 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 2560 वर्ग फीट, ग्राम आबादी सर्वे नंबर 458/1/2, पीएच नंबर 45, वार्ड नंबर 05, गांव माजरा झाड़ीपाड़ा, तहसील बदनावर जिला धार ( म.प्र. ) में स्थित है। सीमाएं - पूर्व-मोहन गुलाब सिंह का स्थान पश्चिम- धन्नालाल का स्थान उत्तर- नाला दक्षिण प्रधानमंत्री सड़क क्षेत्र पूर्व से पश्चिम ( उत्तर की ओर ) - 64 फीट। पूर्व से पश्चिम ( दक्षिण की ओर ) - 40 फीट। उत्तर से दक्षिण ( पूर्व की ओर ) - 64 फीट। उत्तर से दक्षिण ( पश्चिम की ओर ) - 40 फीट। कुल क्षेत्रफल 2560 वर्ग फीट | रु. 16,10,000/- ( रुपये सोलह लाख दस हजार मात्र ) | रु. 1,61,000/- ( रुपये एक लाख इकसठ हजार मात्र ) | 30/05/2025 को 5 बजे अप. तक | 10,000/- | 26/05/2025 ( 11 बजे पूर्वा. 4 बजे अप. ) | 16/06/2025 ( 11 बजे पूर्वा. 2 बजे अप. ) | निल |

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता को ही करना होगा।

इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जिसे नीलामी सेवा प्रदाता **सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, गुरुग्राम, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ई-मेल आईडी : Support@bankeauctions.com सम्पर्क व्यक्ति : धरनी पी., ई-मेल आईडी : dharani.p@c1india.com, सम्पर्क नं. 9948182222** से अनिवार्य है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ही ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को **30.05.2025 को या इससे पूर्व "गृहम हाउसिंग फाइनांस लि.", बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोड: ICIC0000006**, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता- 700001 की खाता में किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा धरोहर राशि भुगतान ( ईएमडी ) की राशि जमा करना होगा तथा **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को अपलोड, ईमेल करना होगा तथा स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी पता: **प्रथम तल, 35 सिल्वर हिल मेन रोड, धार-454001 ( म.प्र. ), मोबाइल नं. +919657443073 ई-मेल आईडी : rohan.savala@grihumhousing.com** पर भेजना होगा।

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://www.bankeauctions.com** तथा **www.grihumhousing.com** पर जाएं।

**इस नोटिस को प्रतिभूति हित ( प्रवर्तन ) नियम-2002 के नियम 8( 6 ) के तहत कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता( ओं )/गारंटर( रों ) को 30 दिनों का नोटिस माना जाए।**

दिनांक: 16/05/2025, स्थान: मध्य प्रदेश ह./- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ( पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड )